न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा जिला डूँगरपुर राज0

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री सुबोधसिंह चारण आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा

प्रकरण संख्या– 408 / 2016(राजस्व वाद) दायर दिनांक –4.11.2016

फैसल दिनांक–10.09.2025

अनवान

1–श्री डायालाल पिता लालशंकर सेवक उम्र 76वर्ष निवासी सरोदा तहसील सागवाड़ा जिला डूँगरपुर ।

(वादी)

बनाम

1–श्री चम्पालाल पिता पन्नालाल सेवक निवासी सरोदा

2–श्री गोरधनलाल पिता पन्नालाल सेवक निवासी सरोदा

3– श्री वासुदेव पिता पन्नालाल सेवक निवासी सरोदा

4–श्री रमणलालपिता पन्नालाल सेवक निवासी सरोदा

5–श्री लक्ष्मणलाल पिता पन्नालाल सेवक निवासी सरोदा

6–श्रीमती धूली बाई बेवा पन्नालाल सेवक निवासी सरोदा

7–श्री हीरालाल पिता लालशंकर सेवक निवासी सरोदा

8–श्री मणीलाल पिता लालशंकर सेवक निवासी सरोदा

9–श्री जयन्तिलाल पिता नानूराम सेवक निवासी सरोदा हाल मुकाम काब्जा

10–श्री रोशन पिता नानूराम सेवक निवासी सरोदा हाल मुकाम काब्जा

11–श्री प्रदीप पिता नानूराम सेवक निवासी सरोदा हाल मुकाम काब्जा

12–श्री चन्दू उर्फ चन्द्रकान्त पिता नानूराम सेवक हाल मुकाम काब्जा

13–मंजूला पुत्री नानूराम सेवक नि0सरोदा हाल मुकाम काब्जा

14–श्रीमती धूली बेवा नानूराम सेवक नि0सरोदा तहसील सागवाड़ा

15– लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील कार्यालय सागवाड़ा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादीगण –श्री मयंक दोसी

वकील प्रतिवादीगण– श्री आजाद शाह

वादबाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अन्तर्गत धारा 88,89 सपठित धारा 209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:निर्णय:–

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 गांव सरोदा के निवासी है । प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वादी के भाई के पूत्र ,प्रतिवादी संख्या 6 उसकी भाभी , प्रतिवादी संख्या 7,8 वादी के भाई ,प्रतिवादी संख्या 9 से 13 उसके भाई नानूराम की संतान व प्रतिवादी संख्या 14 उसकी भाभी है । वादी के पिता

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूँगरपुर (राज

स्व0लालशंकरजी सेवक के स्वयं के स्वामित्व एवं कब्जेदारी की मौजा तत्कालिन खाता संख्या 763/726 जिसके आराजी व रकबा वाद पत्र की कलम संख्या 4 में वर्णित हैं व 764/619 के कूल 16खेत थे जिनका कूल रकबा 9बीघा 12बिस्वा था ।वादी के पिता ने वादी की सेवा चाकरी से खूश होकर मौजा सरोदा के उपरोक्त खाते के अपने स्वामित्व एवं कब्जेदारी की सम्पूर्ण 9बीघा 12बिस्वा भूमि वादी को जरिये पंजिकृत बक्षीसनामा दिनांक 6.6.1981 के बक्षीस कर दी थी तब से इन खेतो पर वादी काबीज होकर काश्त कर रहा है ।

यह कि वादी ज्यादा पढा लिखा नही होने से बक्षीसनामे के बाद वह यह समझता रहा कि यह खेत राजस्व रेर्काड में उसके खाते दर्ज हो गये होंगे ।दिनांक 29.8.2016 को प्रतिवादीगण ने वादी को उससे बक्षीस में प्राप्त खेतों पर जाने से रोका व उसके साथ लडाई झगडा किया एवं कहा कि इन खेतों में हमारा भी नाम होकर हिस्सा है तब वादी ने जानकारी की तो पता चला कि बक्षीसनामे के बाद उसका नाम राजस्व रेकार्ड में नही चढा एवं उसके पिता की मृत्यू के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 14 का नाम सहखातेदार के रूप में राजस्व कर्मियों के द्धारा अंकित कर दिया गया है । राजस्व कर्मियों को वादी के स्वामित्व एवं कब्जेदारीके खेतां पर प्रतिवादी संख्या 1 से 14 का नाम अंकित करने का कोई अधिकार नही था ।

यह कि बक्षीसनामे दिनांक 06.06.81 के बाद से आज तक वादी ही इन खेतों पर काबित होकर काश्त करता है लेकिन गलती से अपना नाम इन खेतों के सहखातेदार के रूप में राजस्व रेर्काड में अंकित होने से प्रतिवादीगण सुंख्या 1 से 14 अनाधिकृत तरीके से इन खेतों पर कब्जा करना चाहते है एवं वादी की काश्त में रूकावट करते है । यह कि वादी ने भूमि के विकास पर काफी राशि व्यय की है ,वादी बूजूर्ग व्यक्ति है प्रतिवादीगण ताकत के बल पर उसकी भूमि हडपना चाहते हैं । यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 का नाम मोजा सरोदा के वर्तमान खाता नम्बर 193/181 की रकबा 8बीघा 17 बिस्वा भूमि के सहखातेदार के रूप में हटाकर उक्त खाते की सम्पूर्ण भूमि का वादी को खातेदार घोषित करना आवश्यक है । यह कि उक्त खाते की सम्पूर्ण भूमि पर दिनांक 6.6.81से निरन्तर बिना किसी रूकावट के लगातार कब्जा काश्त वादी का है । यह कि उक्त भूमि पर वादी ही काबिज है उसके अलावा अन्य किसी का इस पर कब्जा काश्त नही रहा है । यह कि वादी मोजा सरोदा के वर्तमान खाता नम्बर 193/181 की सम्पूर्ण भूमि का खातेदार घोषित करवाने ,प्रतिवादी संख्या 1से 14 का नाम हटवाने एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी है ।

वादी ने वाद के अन्त में मोजा सरोदा के वर्तमान खाता नम्बर 193/181 की रकबा 8 बीघा 17बिस्वा सम्पूर्ण भूमि का वादी को खातेदार घोषित करने व प्रतिवादी संख्या 1से 14 का नाम उपरोक्त खाते से सहखातेदार के रूप में हटाने ,वादी को खातेदार घोषित कर

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया गया है ।

वादी ने वाद पत्र की पुष्टि मे वाद पत्र के साथ शपथ पत्र एवं दस्तावेज नकल जमाबन्दी ,नक्षा ट्रैस ,गिरदावरी व बक्षीसनामा की नकल प्रस्तुत की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब प्रस्तुत करने सम्मन जारी किए गए ।

प्रतिवादीगण संख्या 1,6,7,8,9,10,1,12,13,14 बावजूद सूचना न्यायालय में हाजीर नही होने से दिनांक 30.1.2017 को बावजूद सूचना न्यायालय में हाजीर नही होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए । प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा एक तरफा कार्यवाही को दो तरफा किए जाने का प्रार्थना पत्र पेश हुआ जिसके आदेश दिनांक 15.1.2018 द्वारा एक तरफा कार्यवाही को दो तरफा किए जाने आदेश दिया गया ।

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 एवं 7 की ओर से दिनांक 16.4.2018 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसकी नकल वकील वादी को दी ग्रई ।प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 7 ने अपने जवाब में बताया है कि वादग्रस्त भूमि लालशंकरजी सेवक की स्वअर्जित नही होकर सेटलमेण्ट के पूर्व से पैतृक है जिस पर हिन्दु उत्तराधिकार के अनुसार सभी पूत्रों का हक व हिस्सा है ,लालशंकरजी को एक पुत्र के हक में बक्षीस करने का कोई अधिकार नही है , उक्त बक्षीसनामा संभवतया लालशंकरजी को धोखे में रखकर लिखवाया गया है या कुट रचित है जो प्रतिवादीगणों के हितों के प्रति शून्य होकर तथाकथित बक्षीसनामा पर भी किसी रिश्तेदार एवं गांव के किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नही है । वादी का सम्पूर्ण खाते पर काबिज होना भी अस्वीकार करते हुए बताया कि वादी स्वयं ने दिनांक 9.7.2008 को प्रशासन गांवों के संग अभियान में सभी सहखातेदार भाईयों के हिस्सों व कब्जे अनुसार खाते अलग करने आवेदन किया था तथा उसी अनुरूप बंटवारा होकर सभी सहखातेदार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार है। वादी को उसके हिस्से के खेत के अलावा अन्य खेत पर कोई हक व हिस्सा नही है। वादी को वादग्रस्त भूमि में अपना नाम सहखातेदार के रूप में होने की जानकारी थी जिससे बंटवारा हेतु आवेदन कर आपसी सहमती से खाता अलग कराने का आवेदन किया था ।

प्रतिवादीगण ने जवाब में यह भी बताया है कि वादी ने तथाकथित बक्षीसनामे के आधार पर राजस्व प्रकरण संख्या 60/2008 प्रतिवादीगण के विरूद्ध रेसज्यूडिकेटा का नियम भी लागू होता है व पुनः वाद पेश करने प्रतिबंधित है । वादी स्व0लालशंकर की द्धितीय पत्नि धूलीबाई की संतान है जिसका प्रतिवादीगणों के हितों के विपरीत स्व0लालशंकरजी की सम्पत्ति पर शून्य अधिकार है । प्रतिवादीगण पैतृक कृषि भूमि के अपने हिस्से पर खेती करने से स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है ।

वादी ने जवाबदावे के अन्त में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 व 7 वादी के विरूद्ध प्रतिदावा पेश करते हुए निवेदन किया है कि अन्तर्गत धारा 53 राज0टी0एक्ट उक्त खाते का बंटवारा कर सभी खातेदारो के बिच अपने हिस्से अनुसार बंटवारा कर खाता प्रथक किए जाने का निवेदन किया गया है । जवाब दावे की प्रति वकील वादी को दी गई ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

वादपत्र ,जवाबदावा ,प्रतिदावा के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई :-

तनकीसंख्या 1:– आया कि वादी वादग्रस्त खातासंख्या 193/181 रकबा 8बीघा 17 बिस्वा में खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है ? (वादी)

तनकी संख्या 2:– आया वादी वादग्रस्त खाता संख्या 193/181 से प्रतिवादीगण संख्या 1से 14 का नाम हटवाकर उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है? (वादी)

तनकी संख्या 3:– आया वादी के विरूद्ध रेसज्यूडिकेटा का नियम लागू होता है? (प्रतिवादी)

तनकी संख्या 4:– आया प्रतिवादी वादग्रस्त खाता संख्या 193/181 का बंटवारा कराने के अधिकारी है ? (प्रतिवादी)

उपरोक्तानुसार तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य प्रारम्भ की गई, वकील प्रतिवादी दिनांक 9.3.2022 को अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाकर वादी की एक पक्षीय साक्ष्य प्रारम्भ की गई वादी ने अपनी साक्ष्य में गवाह वादी स्वयं डायालाल के बयान का शपथ पत्र प्रस्तुत किया एवं प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श कराये। वकील वादी द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने से वकील वादी की एक पक्षीय बहस समायत की गई ।

विद्वान अभिभाषक वादी ने दिनांक 03.09.2025 को अपनी बहस में वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत दस्तावेजों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि वादी के पिता ने वादी की सेवा चाकरी से खूश होकर मौजा सरोदा के उपरोक्त खाते के अपने स्वामित्व एवं कब्जेदारी की सम्पूर्ण 9बीघा 12बिस्वा भूमि वादी को जरिये पंजिकृत बक्षीसनामा दिनांक 06.06.1981 के बक्षीस कर दी थी तब से इन खेतो पर वादी काबीज होकर काश्त कर रहा है । बक्षीसनामे के बाद वह यह समझता रहा कि यह खेत राजस्व रेर्काड में उसके खाते दर्ज हो गये होंगे। दिनांक 29.8.2016 को प्रतिवादीगण ने वादी को उससे बक्षीस में प्राप्त खेतों पर जाने से रोका व उसके साथ लडाई झगडा किया एवं कहा कि इन खेतों में हमारा भी नाम होकर हिस्सा है तब वादी ने जानकारी की तो पता चला कि बक्षीसनामे के बाद उसका नाम राजस्व रेकार्ड में नही चढा एवं उसके पिता की मृत्यू के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 14 का नाम सहखातेदार के रूप में राजस्व कर्मियों के द्वारा अंकित कर दिया गया है । राजस्व कर्मियों को वादी के स्वामित्व एवं कब्जेदारीके खेतों पर प्रतिवादी संख्या 1 से 14 का नाम अंकित करने का कोई अधिकार नही था । वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 का नाम मोजा सरोदा के वर्तमान खाता नम्बर 193/181 की रकबा 8बीघा 17 बिस्वा भूमि के सहखातेदार के रूप में हटाकर उक्त खाते की सम्पूर्ण भूमि का वादी को खातेदार घोषित करना आवश्यक है । यह कि उक्त खाते की सम्पूर्ण भूमि पर दिनांक 6.6.81से निरन्तर बिना किसी रूकावट के लगातार कब्जा काश्त वादी का है । यह कि उक्त भूमि पर वादी ही काबिज है उसके अलावा अन्य किसी का इस पर कब्जा काश्त नही रहा है । वकील वादी ने बहस के अन्त में वादी को मोजा सरोदा के वर्तमान खाता नम्बर 193/181 की सम्पूर्ण भूमि का खातेदार घोषित करवाने ,प्रतिवादी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

1से 14 का नाम हटवाने एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 14 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन कर बहस समाप्त की ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। तनकीवार विवेचन निम्नानुसार किया जाता है :-

तनकी संख्या 1:- आया कि वादी वादग्रस्त खातासंख्या 193/181 रकबा 8बीघा 17 बिस्वा में खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है । वादपत्र की कलम संख्या 1 के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वादी के भाई के पूत्र ,प्रतिवादी संख्या 6 भाभी ,प्रतिवादी संख्या 7 व 8 वादी के भाई ,प्रतिवादी संख्या 9 से 13 वादी के भाई नानूराम की संतान व प्रतिवादी संख्या 14 भाभी है । वादग्रस्त आराजीयात वादी के पिता के खाते की थी । प्रदर्श -1 के तहत वादी के पिता जो कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 व 7,8 के पिता ,प्रतिवादी संख्या 9 से 13 के पिता के पिता यानि कि नानूराम के पिता एक ही थे जिन्होंने(लालशंकर पिता गुलाबजी) प्रदर्श 1 की लिखावट के अनुसार किसी अन्य पूत्र द्वारा सेवा चाकरी नही करने तथा वादी द्वारा सेवा चाकरी करने से वादग्रस्त आराजीयात के खाते की भूमि वादी डायालाल को बक्षीस की है जो कि प्रदर्श 1 दिनांक 6.6.1681 होकर रजिस्टर्ड है । वकील वादी ने अपनी बहस में यह भी कहा है कि उक्त बक्षीसनामा के बाद वादी यह समझता रहा कि आराजीयात राजस्व रेकार्ड में उसके नाम दर्ज हो गए होंगे । प्रतिवादीगण के पिता पन्नालाल के फौत होने के बाद इस बात का फायदा उठाते हुए पन्नालाल के वारिसान ने अपना नाम दर्ज करा लिया जबकि वादग्रस्त आराजीयात वादी के नाम दर्ज होने चाहिए थे ।

प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में वादग्रस्त आराजीयात पैतृक होने से अपना हिस्सा होना बताया है लेकिन जवाब के पश्चात उनके द्वारा ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा बक्षीस नामा के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही की हो । प्रतिवादीगण की ओर से कोई लिखित अथवा मोखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत नही की गई है ।

उपरोक्त विवेचन अनुसार बक्षीसनामा के आधार पर वादी वादग्रस्त खाता संख्या 193/181 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा में खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 2:- आया वादी वादग्रस्त खाता संख्या 193/181 से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 का नाम हटवाकर उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है ? (वादी)

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है । वादी की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श 1 अनुसार वादग्रस्त आराजीयात वादी को बक्षीस नामा के तहत प्राप्त हुई है ।तनकी संख्या 1 के विवेचन अनुसार प्रतिवादीगण की ओर से बक्षीसनामा के विरूद्ध किसी सक्षम न्यायालय में कोई कार्यवाही का प्रमाण अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नही की है । बक्षीस नामा कियाशिल होने से वादग्रस्त खाता संख्या 193/181 से प्रतिवादीगण का नाम हटवाकर उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार यह तनकी भी वादी के पक्ष में एंव प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 3:–

आया वादी के विरूद्ध रेसज्यूडिकेटा का नियम लागू होता है? (प्रतिवादी)

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण को है । प्रतिवादीगण की ओर से जवाब में बताया गया है कि वादी की ओर से उपखण्ड न्यायालय में पूर्व में इसी प्रकृति का प्रकरण पेश किया गया था जो कि वादी के विरूद्ध निर्णित किया गया था जिससे वादी पुनः रेस ज्यूडिकेटा के नियम के तहत समान प्रकृति का प्रकरण पेश नही कर सकता है । वादी वकील की ओर से बहस में इस तनकी पर बहस के दौरान अवगत कराया गया है कि ––

11.Res judicata----No court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issur has been directly and substantially in issue in sa former suit between the same parties.or between parties under whom they or any of them claim .litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised.and has been heard and finally decided by such court .

वकील वादी ने – स्टैट ऑफ महाराष्ट्र बनाम मेसर्स नेशनल कन्स्ट्रक्शन कं.1996 (1)करंट सिविल केसेज 61 (उच्चतम न्यायालय) **AIR 1996 (sc) 2367=1996 (1) scc 735=1996(1)jt156=1996(1)scale176=1996(1)suprem264=1996(1)AD(sc)4 581996(2)scj58=1996(1)clt 315(sc)** का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि पूर्व का वाद तकनिकी के आधार पर खारिज हुआ और गुणावगूण पर निर्णित नही हुआ यह पश्चातवर्ती वाद में पूर्व न्याय के रूप में लागू नही होगा ।

पत्रावली में उपलब्ध वादी की ओर से पूर्व में प्रस्तुत वाद की पत्रावली जो इस वाद के संलग्न है , के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 03.05.2010 को वकील वादी एवं वकील वादी अनुपस्थित होने से वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है। वादी की ओर से प्रस्तुत उद्धरण के अनुसार पूर्व में प्रस्तुत वादी का वाद तकनीकी आधार पर खारिज हुआ है और गुणावगूण पर निर्णित नही हुआ है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेस ज्यूडिकेटा का नियम लागु नही होने से उक्त तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 4:– आया प्रतिवादी वादग्रस्त खाता संख्या 193/181 का बंटवारा कराने के अधिकारी है ? (प्रतिवादी)

प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में बताया गया है कि वादी के इस बक्षीसनामा की जानकारी उन्हें नही थी ,वादी स्वयं द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में वादगस्त खाते का बंटवारा किए जाने आवेदन किया गया था । पत्रावली में प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत बंटवार नामा हेतु आवेदन जो कि दिनांक 09.07.2006 का है उपलब्ध है ,लेकिन उक्त आवेदन केम्प में प्रस्तुत होने सम्बन्धि कोई ठोस प्रमाण जैसे कि अधिकारी का मार्क किया हुआ अथवा केम्प में प्रस्तुत होने का आमद/रजिस्टर में दर्ज होने का नम्बर अंकित

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

नही होने से साक्ष्य में रूप में प्रभावी नही है । चूँकि वादग्रस्त खाते की आराजीयात वादी को रजिस्टर्ड बक्षीसनामा के तहत प्राप्त हुई है जिससे प्रतिवादी बंटवारा कराने के अधिकारी नही है। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन अनुसार तनकी संख्या 1 से 4 वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित होने से वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को मौजा सरोदा के वर्तमान खाता संख्या 193/181 की रकबा 8 विघा 17 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 का नाम उक्त खाते के सहखातेदार के रूप में हटाया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि खाता नम्बर 193/181 की भूमि में वादी के कब्जे काश्त में कोई रूकावट नही करें न ही उसे इस पर से बेदखल करने का प्रयास करें ।

निर्णय आज दिनांक 10.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। डिक्री पर्चा जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

(सुबोध सिंह चारण)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा
जिला डूंगरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सागवाड़ा, जि. डूंगरपुर (राज.)

डिगरी व मुकद्में इब्तदाई

(आ.20 रूल 6--7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत --- उपखण्ड अधिकारी सागवाडा मुकाम – सागवाडा

बईजलास-- श्री सुबोध सिंह चारण आर०ए०एस० उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

408 / 2016(वाद)

अनवान

श्री डायालाल पिता लालशंकर निवासी सरोदा तहसील सागवाडा

(वादीगण)

बनाम

श्री चम्पालाल पिता पन्नालाल वगैरा निवासी सरोदा

(प्रतिवादीगण)

वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने अन्तर्गत धारा 88,89 सपठित धारा 209 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

वकील वादी– श्री मयंक दोसी , वकील प्रतिवादी– श्री आजाद शाह (एकपक्षीय)

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू श्री सुबोध सिंह चारण आर०ए०एस० मनिजजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि – वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी को मौजा सरोदा के वर्तमान खाता संख्या 193 / 181 की रकबा 8 बिघा 17 बिस्वा सम्पूर्ण भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 14 का नाम उक्त खाते के सहखातेदार के रूप में हटाया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि खाता नम्बर 193 / 181 की भूमि में वादी के कब्जे काश्त में कोई रूकावट नही करें न ही उसे इस पर से बेदखल करने का प्रयास करें ।

नीज ....मुबलिग...........बाबत ....खर्चा इस मुकद्मे के मय सूद व शहर ....फीसदी आज तारीख सेतारीख बवसूलयाबी तक ....का अदा करे। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10 मास 09 सन् 2025 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा
जिला डूंगरपुर (राज.)

मुद्दई	रूपया	पै0	मुद्दायला		
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत ईजराय हुक्मनामा मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बाबत ईजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा
जिला डूंगरपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा, जि. डूँगरपुर (राज.)